National Commission for Scheduled Tribes

Minutes of the Sitting held under the Chairmanship of Shri Antar Singh Arya, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes alongwith Members (Shri N. Chakma, Dr. Asha Lakra and Shri Jatothu Hussain) at Lok Nayak Bhawan, New Delhi in the case of Shri D. Nataraju, General Secretary, All India Scheduled Tribe Railway Employees Welfare Association regarding recognition of separate association for ST employees of Indian Railways.

F. No. NCST/SER-1604/MRLY/2/2024-SSW
Date of the Sitting: 19/01/2026, 3:40 PM
Participants in the Sitting: As per Annexure

Shri D. Nataraju, General Secretary, All India Scheduled Tribe Railway Employees Welfare Association (Registered Office at Chennai) Sullerupetta (Andhra Pradesh) vide his representation dated 10.6.2024 has stated that a separate recognition should be granted to the All India Scheduled Tribe Railway Employees Welfare Association (Regd. No. 31/2006), distinct from the existing All India SC/ST Railway Employees Association. He contends that various governmental bodies, including the Ministry of Tribal Affairs, the National Commission for Scheduled Tribes, and the Ministry of Social Justice, have recommended such recognition. The petitioner highlights that separate ministries and commissions exist for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and their cultural and socio-economic issues significantly differ. Despite persistent efforts since 2006, the association has not been accorded due recognition. Given the existence of distinct associations for OBCs and SCs in the railway sector, the petitioner argues that Scheduled Tribe employees, numbering approximately one lakh, should also be granted an independent platform to address their concerns effectively. Furthermore, he emphasizes that granting this recognition would not disrupt the administrative or financial structure of the Railways. Citing precedents from Port Trust, Neyveli Lignite Corporation and Chennai Petrochemical Ltd., where separate ST associations have been recognized, the petitioner urges immediate approval to safeguard the welfare and rights of ST Railway employees.

श्री डी.नटराजू, महासचिव, अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारी कल्याण संघ, सुल्लेरुपेट्टा, आंध्र प्रदेश ने अपने दिनांक 10.06.2024 के अभ्यावेदन में कहा है कि मौजूदा अखिल भारतीय एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी संघ से पृथक रूप से अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारी कल्याण संघ (पंजीकरण सं.31/2006) को अलग मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने यह तर्क दिया है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय सहित विभिन्न सरकारी निकायों द्वारा ऐसी मान्यता की संस्तुति की गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी उल्लेख किया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक मंत्रालय और आयोग अस्तित्व में हैं तथा दोनों समुदायों की सांस्कृतिक एवं सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ भिन्न हैं। वर्ष 2006 से निरंतर प्रयासों के बावजूद उक्त संघ को अभी तक उचित मान्यता नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि रेलवे

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Scanned with CamScanner

क्षेत्र में ओबीसी एवं अनुसूचित जाति के पृथक-पृथक संघ विद्यमान हैं, अतः लगभग एक लाख अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को भी अपनी समस्याओं के प्रभावी निराकरण हेतु एक स्वतंत्र मंच प्रदान किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस प्रकार की मान्यता से रेलवे की प्रशासनिक अथवा वित्तीय व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके समर्थन में उन्होंने पोर्ट ट्रस्ट, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन तथा चेन्नई पेट्रोकेमिकल लिमिटेड में पृथक अनुसूचित जनजाति संघों को दी गई मान्यता का हवाला देते हुए, अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारियों के कल्याण एवं अधिकारों की सुरक्षा हेतु शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

2. In this matter, sittings were held on 10.2.2025, 17.6.2025,8.9.2025 and 27.10.2025. In the last sitting held on 27.10.2025, the following recommendations were made and minutes were sent to Chairman & CEO, Railway Board on 7.11.2025 with request to submit the Action taken report within 15 days from receipt of the minutes.

- The Railway Board may issue guidelines/ advisory to recognise a separate All India ST Employees Welfare Association in Railways Department.
- The petitioners are advised that in the sittings of NCST in relation to this case only 3 or 4 representatives may attend for the subsequent hearings if any.
- The TA and Special Leave may be reimbursed / granted in favor of petitioners, who attended the sitting, as per rules.

इस मामले में 10.2.2025, 17.6.2025, 8.9.2025 तथा 27.10.2025 को बैठकें आयोजित की गईं। 27.10.2025 को आयोजित अंतिम बैठक में निम्नलिखित अनुशंसाएँ की गईं तथा बैठक की कार्यवृत्त (Minutes) 7.11.2025 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ को इस अनुरोध के साथ भेजी गई कि प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट (Action Taken Report) प्रस्तुत की जाए-

- रेलवे बोर्ड, रेलवे विभाग में एक पृथक अखिल भारतीय एसटी कर्मचारी कल्याण संघ को मान्यता देने हेतु दिशा-निर्देश/परामर्श जारी कर सकता है।
- याचिकाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि इस मामले से संबंधित एनसीएसटी की बैठकों में भविष्य में, यदि कोई बैठक होती है, तो केवल 3 या 4 प्रतिनिधि ही उपस्थित हों।
- बैठक में उपस्थित हुए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता (TA) एवं विशेष अवकाश (Special Leave) की प्रतिपूर्ति/स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

3. The Railway Board vide letter no. 2021-E(SCT)/1/22/16 dated 26.11.2025 has submitted ATR stating that there is no policy mandate from DOP&T for bifurcation of the existing combined SC/ST association. The reservation policy, rosters and safeguards for SCs and STs are common except for percentage of reservation and that recognition of a separate ST association by splitting the existing All India SC/ST Railway Employees Association is neither desirable nor administratively viable. It has further been informed that the existing association adequately represents the interests of both SC and ST employee with significant representation of ST members in its executive bodies and steps have been taken to further strengthen such representation vide letter dated 12.10.2025. Accordingly, the recommendations of NCST to recognize a separate ST association has been stated to be not feasible.

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Scanned with CamScanner

रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या 2021-E(SCT)/1/22/16 दिनांक 26.11.2025 के माध्यम से कार्यवाही रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत की है, जिसमें यह अवगत कराया गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOP&T) की ओर से वर्तमान संयुक्त एससी/एसटी संघ के विभाजन के लिए कोई नीतिगत प्रावधान/अनिवार्यता नहीं है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण नीति, रोस्टर तथा सुरक्षात्मक उपाय समान हैं, केवल आरक्षण के प्रतिशत में अंतर है। इसलिए मौजूदा अखिल भारतीय एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी संघ को विभाजित कर पृथक एसटी संघ को मान्यता देना न तो वांछनीय है और न ही प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य है। आगे यह भी सूचित किया गया है कि वर्तमान संघ एससी एवं एसटी दोनों कर्मचारियों के हितों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करता है तथा इसके कार्यकारी निकायों में एसटी सदस्यों का उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व है। इस प्रतिनिधित्व को और सुदृढ़ करने के लिए पत्र दिनांक 12.10.2025 के माध्यम से आवश्यक कदम भी उठाए गए हैं। अतः एनसीएसटी द्वारा पृथक एसटी संघ को मान्यता देने संबंधी अनुशंसा को व्यवहार्य न होना बताया गया है।

4. The information provided in the Action taken report of Railway Board was not satisfactory, hence, NCST decided discuss the issue with the Chairman & CEO, Railway Board and petitioner on 19.01.2026. Accordingly, a Sitting Notice was sent on 07.01.2026.

रेलवे बोर्ड द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही रिपोर्ट (ATR) में दी गई जानकारी संतोषजनक नहीं पाई गई। अतः एनसीएसटी ने इस विषय पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ तथा याचिकाकर्ता के साथ दिनांक 19.01.2026 को चर्चा करने का निर्णय लिया। तदनुसार, बैठक की सूचना (Sitting Notice) दिनांक 07.01.2026 को जारी की गई।

5. In the sitting, the Chairman & CEO, Railway Board alongwith other Sr. Officers and petitioners were present. The petitioners has demanded for recognition of separate ST Employees Welfare Association by the Railway Board. The officers Railway Board has reiterated the facts and comments submitted vide letter dated 26.11.2025 by the Railway Board and stated that the recognition for separate association for the ST employees by bifurcation of SC/ST Railway Employees Welfare Association is neither desirable not administrative viable as it would create administrative complications and financial implications.

बैठक में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपस्थित थे तथा याचिकाकर्ता भी उपस्थित रहे। याचिकाकर्ताओं द्वारा रेलवे बोर्ड से पृथक एसटी कर्मचारी कल्याण संघ को मान्यता देने की मांग की गई।इस पर रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने अपने पत्र दिनांक 26.11.2025 के माध्यम से प्रस्तुत तथ्यों एवं टिप्पणियों को दोहराया और यह स्पष्ट किया कि एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी कल्याण संघ को विभाजित कर एसटी कर्मचारियों के लिए पृथक संघ को मान्यता देना न तो वांछनीय है और न ही प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य है, क्योंकि इससे प्रशासनिक जटिलताएँ तथा वित्तीय प्रभाव उत्पन्न होंगे।

6. The Hon'ble Members of NCST emphasised that the Government of India is well-wisher of the STs. Therefore, the Govt. of India, in October 1999 had setup a

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Scanned with CamScanner

separate Ministry for Scheduled Tribes i.e. Ministry of Tribal Affairs (carved out of Ministry of Social Justice and Empowerment). Thereafter, in year 2004 under Article 338A setup a separate National Commission for Scheduled Tribes (by bifurcation of National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) and various organizations/ schemes have been separated for welfare and advancement of Scheduled Tribes. Hence, the demand of petitioners are justified as the employment and privileges of ST employees in the Railway Department stands on different footing vis-avis other class of employees.

एनसीएसटी के माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की हितैषी है। इसी क्रम में भारत सरकार ने अक्टूबर 1999 में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक मंत्रालय, अर्थात् जनजातीय कार्य मंत्रालय, की स्थापना की, जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से पृथक किया गया। इसके पश्चात वर्ष 2004 में संविधान के अनुच्छेद 338A के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के विभाजन द्वारा गठित हुआ। साथ ही, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं उन्नति हेतु विभिन्न संगठनों/योजनाओं को भी पृथक किया गया है। अतः याचिकाकर्ताओं की मांग को न्यायोचित ठहराया गया, क्योंकि रेलवे विभाग में एसटी कर्मचारियों की सेवा शर्तें एवं विशेषाधिकार अन्य वर्गों के कर्मचारियों की तुलना में भिन्न आधार पर स्थित हैं।

7. Thereafter, the officers of Railway Board had stated that the opinion of DoPT requires for framing the guidelines regarding recognition of separate All India ST Employees Welfare Association. In this context, NCST has informed that NCST had a convened a meeting with the officers of DoPT on 17.9.2025 under the chairmanship of Antar Singh Arya, Hon'ble Chairperson, NCST regarding for setting / recognition of separate ST Employees Welfare Associations. In this meeting, the reference was made to Para 5(f) of notification no. 2/10/80-JCA dated 5.11.1993 of DoPT, which prohibits formation of service Association on caste / tribe / religious basis. However, NCST observed that the over 730 Scheduled Tribes recognised under Article 342 of the Constitution and they may be considered as one community, similar to OBCs, and hence a separate Association for ST employees may be formed to take up their collective concerns. DoPT was requested to examine the matter and issue necessary directions. The DoPT has been requested to examine the matter and issue necessary directions, vide NCST letter no. 12035/1/2025 – Coord. dated 22.9.2025.

इसके पश्चात रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि पृथक अखिल भारतीय एसटी कर्मचारी कल्याण संघ को मान्यता देने संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की राय आवश्यक है। इस संदर्भ में एनसीएसटी ने अवगत कराया कि एनसीएसटी द्वारा दिनांक 17.09.2025 को माननीय अध्यक्ष, एनसीएसटी श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में DoPT के अधिकारियों के साथ पृथक एसटी कर्मचारी कल्याण संघों की स्थापना/मान्यता के विषय में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Scanned with CamScanner

बैठक में DoPT की अधिसूचना संख्या 2/10/80-JCA दिनांक 05.11.1993 के पैरा 5(फ) का संदर्भ दिया गया, जिसमें जाति/जनजाति/धर्म के आधार पर सेवा संघों के गठन पर प्रतिबंध का प्रावधान है।हालाँकि, एनसीएसटी ने यह अवलोकन किया कि संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त 730 से अधिक अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जिन्हें एक समुदाय के रूप में माना जा सकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) को माना जाता है। अतः एसटी कर्मचारियों की सामूहिक समस्याओं एवं हितों को उठाने के लिए पृथक एसटी कर्मचारी संघ का गठन किया जा सकता है।इस संबंध में DoPT से अनुरोध किया गया कि वह इस विषय की जाँच कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे। तदनुसार, एनसीएसटी के पत्र संख्या 12035/1/2025-Coord. दिनांक 22.09.2025 के माध्यम से DoPT से इस विषय की जाँच कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

8. Further, it was also informed that the NCST in its 158th meeting vide Agenda No. 158.17 has also decided to separate the ST Employees Welfare Associations from the existing SC/ST Employees Welfare Associations across PSU/PSE, Autonomous Bodies, Departments and attached offices.

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि एनसीएसटी ने अपनी 158 वीं बैठक में, एजेंडा संख्या 158.17 के अंतर्गत, पीएसयू/पीएसई, स्वायत्त निकायों, मंत्रालयों/विभागों तथा उनसे संबद्ध कार्यालयों में विद्यमान संयुक्त एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघों से एसटी कर्मचारी कल्याण संघों को पृथक करने का निर्णय भी लिया है।

9. It was also pointed out that CCS (RSA) Rules, 1993 is restricted for formulation of the association in the name of caste / tribe. It means, the association in the name of one Tribe is restricted, but the demand of ST employees of Railway Department for recognition of separate ST Employees Welfare Association. In other words, the association will be for the STs (number of ST communities).

यह भी इंगित किया गया कि केंद्रीय सिविल सेवा (मान्यता प्राप्त सेवा संघ) नियम, 1993 [CCS (RSA) Rules, 1993] में किसी एक जाति/जनजाति के नाम पर संघ के गठन पर प्रतिबंध है। इसका आशय यह है कि किसी एक विशिष्ट जनजाति के नाम पर संघ का गठन प्रतिबंधित है। किन्तु रेलवे विभाग के एसटी कर्मचारियों की मांग पृथक एसटी कर्मचारी कल्याण संघ को मान्यता देने की है। दूसरे शब्दों में, प्रस्तावित संघ किसी एक जनजाति के लिए नहीं, बल्कि सभी अनुसूचित जनजातियों (अर्थात् विभिन्न एसटी समुदायों) के कर्मचारियों के लिए होगा।

10. During sitting, it was observed that the facts submitted by the Railway Board for recognition for setting separate ST Employees Welfare Association requires to be reconsidered by the Railway Board. The Chairman & CEO of Railway Board has also assured that the matter will be taken up with the higher authority for resolving the issue.

बैठक के दौरान यह अवलोकन किया गया कि पृथक एसटी कर्मचारी कल्याण संघ की स्थापना/मान्यता के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Scanned with CamScanner

एवं सीईओ ने भी आश्वासन दिया कि इस समस्या के समाधान हेतु उच्च प्राधिकारी के समक्ष उठाया जाएगा।

11. After discussion with the officers of Railway Department and petitioners, the following recommendations were made and action taken there on may be submitted to NCST within 15 days from receipt of the Minutes.

- As assured by the Chairman & CEO of Railway Board in the sitting, the Railway Board is advised to take up the matter with higher authorities to recognise separate ST Railway Employees Welfare Association in the Railway Department.
- The petitioners are advised that in the sittings of NCST in relation to this case, only 2 or 3 representatives may attend for the subsequent sittings, if any.
- The TA and Special Leave may be reimbursed / granted in favour of the petitioners, as per their entitlement and rules.

रेलवे विभाग के अधिकारियों और याचिकाकर्ताओं के साथ चर्चा के पश्चात निम्नलिखित अनुशंसाएँ की गईं और इन पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर एनसीएसटी को प्रस्तुत की जानी चाहिए:

- बैठक में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार, रेलवे बोर्ड को सलाह दी जाती है कि वह उच्च अधिकारियों के समक्ष इस विषय को उठाकर रेलवे विभाग में पृथक एसटी रेलवे कर्मचारी कल्याण संघ को मान्यता दिलाने का प्रयास करे।
- याचिकाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि इस मामले से संबंधित एनसीएसटी की आगामी बैठकों में केवल 2 या 3 प्रतिनिधि ही उपस्थित हों।
- याचिकाकर्ताओं को नियमों एवं उनके पात्रता के अनुसार यात्रा भत्ता (TA) और विशेष अवकाश (Special Leave) की प्रतिपूर्ति/स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

(अंतर सिंह आर्य)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Scanned with CamScanner

F. No. NCST/SER-1604/MRLY/2/2024-SSW (RU-III)

List of participants of the sitting held on 19.1.2026 at ………… under the chairmanship of Shri Antar Singh Arya, Hon'ble Chairperson, NCST at New Delhi.

Sr. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	National Commission for Scheduled Tribes		
1.			
2.	Shri Jatothu Hussain Hon'ble Member		
3.			
4.	Dr. P.Kalyan Reddy Director		
5.	NCST Officials		
II	Railway Board		
Sr. No.	**Name, Designation and Address**	**Phone No.**	**Signature**
1)	Satish Kumar, CRB & CEO	9318471000	[signature] 19.1.26
2)	Aruna Nayar Secretary & DG/HR/RB	7011194301	[signature] 19/1/26
3)	P.H. Bhargava AM/Staff/RB	9560452594	[signature] 19/01/2026
4)	P.K. Safi ED/E/Res./RB	8882709285	[signature] 19.01.26
5)	Goutam Mondal JD/E/Res.	9717647205	[signature]
6)	BRIJESH KUMAR DD/E/Res./RB	9717647402	[signature] 19/1/26
7)	Sankha Chakraborty SO/ESCT-I	9077093555	शंखो 19/01/2026
	M Bhaskaran	9573685769	[signature]

III	Petitioner		
1	D. Nataraji	Sr) Tech/Cw/WRCMS PER/MAS 9440520182	
2	M. Hari Ram	CCI/ PCCM/ (o) SCR	
3.	DS RAMAKUMAR President/ICF	Ch. OS/ICF Ch-38 816528	
4	M. VENKATARAMA NAIAH GS/ICF	Sr Tech. ICF/ Ch-88 816536	
5.	KONETI. RAVI	SR. TECH/CW/PER/MAS 15722293040	
6.	S. SUBRAMANIYAN	PG/CELL/MAS/HQ/GM 9176870103	
7.	Y. SURESH BABU 9341928617	Ch.OS/ACM/Rewa/NCR	
8.	Sateesh Kumar Katta	ch.OS/PB/CWM/UBLS/SCR 9538207071	
9.	S. Sowmigan	OS/Dy.CMM/CSD/PER/SR 9940400555	
10.	N.G. Sundaravadivelu	OS/Dy.CMM/CSD/PER/SR 8778205364	
11.	Jatoth. Balaraju	Sr. Tech/CWM/LLD/SCR 8074474223.	
12.	B. Bhaw singh	Tech-I/CDO/SC/SCR 8790135839	
13.	Sureshchand Meena	Sr. Tech/CDO/SC/SCR 8520801901	
14.	RAJEEV Kr. MEENA	LP/DLI - HR/XNR. 9711635277.	
15	I SURESH KUMAR	SSE/29/ICF 705916 9003149126	
16.	Vaikundan. B	TECH-I 7401445374	
17	CH. Gopala Rao	Sr. Tech Retd RXPS. Vijayawada 9490717285	
18.	A. Sreemannarayana	CEI/Retd S.C. Rly Secunderabad	

9849218024

19) S. VENKATESAN. Sr. Tech 15206MAS653 6379398689

20) Mahesh Meena WCR JBP Sr. Tech 45216018837

(6)